22

रा.के.मु.अ.-45-2,00,000-2001

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प06 (43)राज/ग्रुप-6/2001/ दिनांक : अगस्त 8, 2001

1— समस्त संभागीय आयुक्त ।
2— आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर ।
3— समस्त जिला कलैक्टर ।

परिपत्र

विषय :— **"प्रशासन गांव के संग" अभियान वर्ष 2001**

राज्य सरकार ने इस वर्ष 2 अक्टूबर, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 तक एक विशेष अभियान प्रशासन गांव के संग आयोजित करने का निर्णय लिया है । इस अभियान में पंचायती राज, ग्रामीण विकास, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, आदि से सम्बन्धित बिन्दु जिनका ग्रामीण समुदाय से सीधा संबंध है, जोडा जाना है । इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समुदाय की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है ।

इस अभियान के अन्तर्गत राजस्व विभाग से सम्बन्धित जिन संभावित कार्यों का प्रमुख रूप से निस्तारण किया जाना है उसका सूचीकरण कर लिया गया है तथा उसका विवरण परिशिष्ट—एक पर संलग्न है । सभी जिला कलैक्टर अपने क्षेत्र में लम्बित मामलों को चिन्हित कर लें एवं इन मामलों के निस्तारण हेतु हर संभव प्रयास करें तथा तदनुसार इस सम्बन्ध में वर्तमान राजस्व कानूनी / नियमों / परिपत्रों में संशोधन सम्बन्धी कोई सुझाव हो तो विस्तृत औचित्य के साथ 14 अगस्त, 2001 तक भेजने का कष्ट करे जिससे उन पर विचार कर कार्यवाही की जा सकें ।

"प्रशासन गांव के संग" अभियान में राजस्व विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्योग विभाग, खनिज विभाग, गृह विभाग व अन्य विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया जावेगा । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के शासन सचिव से प्रस्ताव मंगाए गए हैं जिनके प्राप्त होने पर अन्य विभागों के कार्य बिन्दुओं के बाबत शिविर में सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की जानकारी व विभागों द्वारा उनके विभागीय अधिकारियों को भेजे जाने वाले परिपत्रों निर्देशों से आपको अवगत करा दिया जायेगा, फिर भी आप अपने स्तर पर इन विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रारम्भिक तैयार कर लें।

अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है कि राजस्व सम्बन्धी कार्यों का पूरी तरह प्रभावी सम्पादन पंचायत स्तरीय शिविरों में किया जाये । इस हेतु अग्रिम तैयारी आवश्यक है जिससे विभिन्न बकाया कार्यों का सूचीकरण ग्राम स्तर पर पटवारी द्वारा किया जावे एवं इस सम्बन्ध में निस्तारण हेतु आवश्यक सामग्री का इन्तजाम कर लिया जाये तथा शिविरों का गांव गांव में प्रचार किया जाये ।

राजस्व विभाग इस अभियान के संचालन एवं कियान्वयन हेतु नोडल विभाग रहेगा। अतः राजस्व सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में आपको भेजे गये समसंख्यक पत्र दिनांक 24—7—2001 के संदर्भ में आप अपने जिले के लिए अभियान संबंधी आवश्यक तैयार कर लें एवं अभियान की रूपरेखा बनाकर दिनांक 14 अगस्त, 2001 तक राजस्व सचिव को भिजवाने की व्यवस्था करें ।

भवदीय

(ओ0पी0बिहारी)
विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव

doc.1